अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ, गिरीडीह

वाद सं0–178/2021

(द0 प्र0 सं0 की धारा 144 के तहत)

जफर अली –बनाम्– अब्दुल सत्तार

आदेश

06.11.21 थाना प्रभारी, गाँवा के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने दादा के नाम दर्ज खतियानी भूमि में प्राप्त हिस्से पर खेती बाड़ी एवं मकान सहित दखलकार रहने का उल्लेख कर अपने हिस्सेदार द्वितीय पक्ष द्वारा जबरन बेदखल करने को प्रयासरत रहने का तथ्य प्रस्तुत किया गया एवं जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष द्वारा खतियानी रैयत के वंशज के रूप में अपने हिस्से की भूमि पर मकान एवं खेतीबारी सहित दखलकार रहने का उल्लेख कर प्रथम पक्ष द्वारा उक्त भूमि को जबरन दखल करने को प्रयासरत रहने का तथ्य प्रस्तुत किया गया एवं जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से पक्षकारों के बीच हिस्सेदारी एवं वास्तविक दखल से संबंधित विवाद का निदान इस कार्यवाही के तहत नहीं रहने की स्थिति में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ, गिरीडीह

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ, गिरीडीह

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:27:52 +05:30
Location: 192.168.1.3